





मत्स्य पालन हेतु कल्याणकारी योजनाएँ

केंद्रीय एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएँ



विषयसूची

- | | |
|------------------------------|----|
| 1. केंद्रीय सरकार की योजनाएँ | 3 |
| 2. राज्य सरकार की योजनाएँ | 43 |



ਕੈਲੋਂਡਰ 2024



January

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

February

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
				1	2	3
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29			

March

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

April

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

May

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
			1	2	3	4
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

June

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
			1	2		
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

July

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

August

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

September

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
			1			
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

October

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
1	2	3	4	5	6	7
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

November

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
			1	2	3	
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

December

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
			1			
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

बचत एवं राहत योजना

मत्स्य संसाधनों के संरक्षण के दौरान मछुआरों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सामाजिक योजना

सहायता का ब्योरा - ₹० 3000/- (₹० 600/- राज्य भाग + ₹० 2400/- केंद्र भाग)

आयु सीमा - न्यूनतम 18-60 जेंडर - सभी

पात्रता

लाभार्थी पूर्णकालिक सक्रिय मछुआरा होना चाहिये।

लाभार्थी किसी कार्यशील मत्स्य सहकारी समा/फेडरेशन/पंजीकृत इकाई का सदस्य होना चाहिये।

लाभार्थी को मछली पकड़ने वाले 10 माह तक ₹० 150/- प्रति माह (₹० 1500 वार्षिक) का योगदान देना होगा। राज्य सरकार, केंद्र सरकार व लाभार्थी से ₹० 4500/- की एकत्रित राशि प्रत्येक मछुआरे को दो माह के वर्जित काल के समय दो किस्तों में दी जाती है।



सहायता योजना - तालाब नव निर्माण हेतु

(स्लूस गेट जलापूर्ति हेतु निर्माण कार्य तथा वायु संचारण, आहार भंडार)

- लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। पट्टे पर ली गयी भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु प्राप्त है भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गयी हो सकती है। पट्टे पर ली गयी भूमि न्यूनतम 7 वर्षों की अवधि के लिए होनी अनिवार्य है।
- निर्मित तालाब की नुन्यतम 1.5 मीटर गहरायी होनी चाहिए। प्रति लाभार्थी अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल की ही वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी तथा सदस्य दो हेक्टेयर तथा अधिकतम 20 हेक्टेयर छत्रफल पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- परियोजना रिपोर्ट केवल मास्तिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार होगी।



सहायता योजना


(प्रथम वर्षीय आदानो हेतु - बीज, खुराक, खाद व परिवहन)

सहायता का ब्योरा - इकाई लागत = रु० 4,00,000/-, प्रति हेक्टेयर सामान्य जाति 40 प्रतिशत रु० 1,60,000/- प्रति हेक्टेयर की उच्चतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी समाजों के लिए 60 प्रतिशत प्रति हेक्टेयर की दर से रु० 2,40,000/- की अधिकतम सीमा।

आयु सीमा - न्यूनतम 18-60 ज़ैंडर - सभी

पात्रता

- मत्स्य पालन निर्माण व मुरम्मत पर आदानो हेतु सहायता प्रदान की जायेगी।
- आदानों हेतु सहायता केवल प्रथम वर्ष में ही दी जायेगी।
- आदानो हेतु सहायता केवल तालाबों के पूर्ण रूप से मत्स्य पालन योग्य होने पर दी जाएगी।



ट्राउट पालन सहायता योजना

(प्रथम वर्षीय आदानो - बीज, खुराक, परिवहन हेतु)

सहायता का व्योरा

इकाई लागत = ₹०२,५०,०००/-, प्रति इकाई सामान्य जाति 40 प्रतिशत ₹० 1,००,०००/- प्रति इकाई की उच्चतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60 प्रतिशत प्रति इकाई की दर से ₹०१,५०,०००/- अधिकतम सीमा।

आयु सीमा - कोई नहीं जेंडर - सभी

पात्रता

- आदानो हेतु वित्तीय सहायता केवल नव निर्मित ट्राउट रेसवेज पर ही देय है।
- आदानो हेतु वित्तीय सहायता केवल ट्राउट रेसवेज के पूर्ण रूप से मत्स्य पालन योग्य होने पर ही दी जायेगी।




प्रशिक्षण शिविर योजना

(मत्स्य पालकों हेतु)

सहायता का व्योरा: 100 प्रतिशत
आयु सीमा - कोई नहीं | जेंडर - सभी

पात्रता

- समय-समय पर मात्स्यिकी विभाग द्वारा मत्स्य पालको के ज्ञानवर्धन हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है जिसकी जानकारी विभाग के अधिकारियों से प्राप्त की जा सकती है।
- इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार व्यक्ति जो भविष्य में मत्स्य पालन अपनाना चाहता है वो भी पात्र है।



प्रशीतित वाहन


(Refrigerated Vehicle)

सहायता का ब्योरा

इकाई लागत = ₹ 25,00,000/-, प्रति इकाई सामान्य जाति 40 प्रतिशत (₹ 10,00,000/-) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60 प्रतिशत प्रति इकाई की दर से ₹ 15,00,000/- अधिकतम सीमा।

सीमा - कोई नहीं | जेंडर - सभी पात्रता

- परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार होगी।
- केवल मस्त्य पालन सम्बन्धी गतिविधियों हेतु प्रयोग में लाये जायेंगे।
- रख-रखाव व संचालन लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जाएगी।



इंसुलेटेड वाहन

(Insulated vehicle)

सहायता का ब्योरा

- लागत = ₹ 20,00,000/- प्रति इकाई
- सामान्य जाति 40 प्रतिशत (₹ 8,00,000/-) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी समांगों के लिए 60 प्रतिशत प्रति इकाई की दर से ₹ 12,00,000/- अधिकतम सीमा।

सीमा - कोई नहीं | जेंडर - सभी

पात्रता

- परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी।
- केवल मत्स्य पालन सम्बन्धी गतिविधियों हेतु प्रयोग में लाये जाएंगे।
- रख-रखाव व संचालन लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी।



आइस बॉक्स के साथ मोटर साइकिल

सहायता का व्योरा

- इकाई लागत = ₹ 75,000/- प्रति इकाई
- सामान्य जाति 40 प्रतिशत (₹ 30,000/-) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60 प्रतिशत प्रति इकाई की दर से ₹ 45,000/- अधिकतम सीमा।

सीमा - कोई नहीं | जेंडर - सभी

पात्रता

- परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी।
- केवल मत्स्य पालन सम्बन्धी गतिविधियों हेतु प्रयोग में लाये जाएंगे।
- रख-रखाव व संचालन लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी।



आइस बॉक्स के साथ तीन व्हीलर


सहायता का ब्योरा

- इकाई लागत = ₹ ३,००,०००/- प्रति इकाई
- प्रति इकाई सामान्य जाति ४० प्रतिशत (₹ १,२०,०००/-) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी समांगों के लिए ६० प्रतिशत प्रति हेक्टेयर इकाई की दर से ₹ १,८०,०००/- अधिकतम सीमा।

सीमा - कोई नहीं | जेंडर - सभी

पात्रता

- परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी।
- केवल मत्स्य पालन सम्बन्धी गतिविधियों हेतु प्रयोग में लाये जाएंगे।
- रख-रखाव व संचालन लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी।



जलाशय हेतु बोट व जाल

सहायता का ब्योरा

- इकाई लागत = ₹ २,००,०००/- प्रति इकाई
- प्रति इकाई सामान्य जाति ४० प्रतिशत (₹ ८०,०००/-) की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी समांगों के लिए ६० प्रतिशत प्रति इकाई की दर से ₹ १,२०,०००/- अधिकतम सीमा।

सीमा - कोई नहीं | जेंडर - सभी

पात्रता

- राज्य के जलाशयों के सभी सक्रिय मछुआरे इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं।
- परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार होगी।
- रख-रखाव व संचालन लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जाएगी।



रियरिंग तालाब नव निर्माण हेतु सहायता

सहायता का व्योरा

- इकाई लागत = ₹ ० ७,००,०००/- प्रति हेक्टेयर
- सामान्य जाति ४० प्रतिशत ₹ ० २,८०,०००/- प्रति हेक्टेयर की उच्चतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए ६० प्रतिशत प्रति हेक्टेयर की दर से ₹ ० ४,२०,०००/- अधिकतम सीमा।

सीमा - कोई नहीं | ज़ैंडर - सभी

पात्रता

- लाभार्थी को क्रण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो सकती है। पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम ७ वर्षों की अवधि अनिवार्य है।
- निर्मित तालाब की न्यूनतम १.५ मीटर गहराई होनी चाहिये। प्रति लाभार्थी को अधिकतम २ हेक्टेयर क्षेत्रफल की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी तथा सहकारी सभाओं इत्यादि को प्रति सदस्य २ हेक्टेयर तथा अधिकतम २० हेक्टेयर क्षेत्रफल पर वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।
- परियोजना प्रस्ताव केवल मात्रिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी।



कार्प हैचरी निर्माण हेतु सहायता योजना


सहायता का व्योरा

- इकाई लागत = ₹ 25,00,000/- प्रति इकाई व 2 हेक्टेयर नर्सरी तलाबों के निर्माण हेतु) सामान्य जाति 40 प्रतिशत ₹ 10,00,000/- प्रति इकाई उच्चतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी समांगों के लिए 60 प्रतिशत प्रति इकाई की दर से ₹ 15,00,000/- अधिकतम सीमा।

सीमा - कोई नहीं | जेंडर - सभी

पात्रता

- लाभार्थी को क्रण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो सकती है। पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम 10 वर्षों की अवधि अनिवार्य है।
- भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।
- परियोजना प्रस्ताव केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी।
- हैचरी में न्यूनतम 15 मिलियन (1.5 करोड़) फ्राई प्रति वर्ष उत्पादन होना चाहिए जिसका छेत्रफल न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर होना अनिवार्य है।



कार्प हैचरी निर्माण हेतु सहायता योजना

- हैचरी में ब्रूडर तालाब , नर्सरी तालाब, बिजली व पानी की आपूर्ति, छोटे आकर की प्रयोगशाला इत्यादि की सुविधा होनी चाहिए
- हैचरी योग्य तकनीकी एवं कुशल स्टाफ द्वारा प्रबंधित होनी चाहिए
- लाभार्थी अन्य मत्स्य पालको को मस्त्य बीज उपलब्ध करवाना सुनिष्ठित करें
- निर्माण उपरांत हैचरी का प्रबंधन व संचालन लाभार्थी अपने खर्च पर करेगा
- हैचरी को प्रमाणित करने का व्यय भी इकाई लागत में से वहन करना अनिवार्य होगा



ट्राउट इकाई निर्माण हेतु सहायता योजना


सहायता का व्योरा

- इकाई लागत = रु०3,00,000 प्रति इकाई
- 17m*2m*1.5m सामान्य जाति 40 प्रतिशत रु० 1,20,000/- प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी समाओं के लिए 60प्रतिशत प्रति इकाई की दर से रु० 1,80,000/- अधिकतम सीमा।

सीमा - कोई नहीं | जैंडर - सभी

पात्रता

- लाभार्थी को क्रण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो सकती है। पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम 7 वर्षों की अवधि के लिए होनी अनिवार्य है।
- भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र हैं।
- प्रति लाभार्थी को केवल 4 इकाईयों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।
- सहकारी समाओं हेतु अधिकतम 10 इकाईयों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।



ट्राउट हैचरी निर्माण हेतु सहायता योजना


सहायता का व्योरा

- इकाई लागत = ₹ ५०,००,०००/- प्रति इकाई
- सामान्य जाति ४० प्रतिशत ₹ २०,००,०००/- प्रति इकाई की उच्चतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए ६० प्रतिशत प्रति इकाई की दर से ₹ ३०,००,०००/- अधिकतम सीमा।

सीमा - कोई नहीं | ज़ैंडर - सभी

पात्रता

- लाभार्थी को स्वयं अथवा पट्टे पर ली गई क्रण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गयी हो सकती है। पट्टे की अवधि न्यूनतम १० वर्ष के लिए होनी अनिवार्य है।
- परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी।



ट्राउट हैचरी निर्माण हेतु सहायता योजना

- हैचरी में न्यूनतम 15.00 लाख ट्राउट बीज प्रति वर्ष का उत्पादन होना चाहिए। इसका न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर होना अनिवार्य है।
- हैचरी में हैचिंग ट्रफ, 4 शावजनक रेसवे, नर्सरी टैंक, स्टार्टर फीडर टैंक, बिजली व पानी इत्यादि की सुविधा होनी चाहिए।
- हैचरी योग्य तकनीक एवं कुशल स्टाफ द्वारा प्रबंधित होनी चाहिये।
- लाभार्थी अन्य मत्स्य पालकों को मत्स्य बीज उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
- निर्माण उपरांत हैचरी का प्रबंधन व संचालन लाभार्थी अपने खर्च पर करेगा।
- हैचरी को प्रमाणित करने का व्यय भी इकाई लागत में से वहन करना अनिवार्य होगा।



मछली चारा मिल्स

(2 टन प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता की मिनी मील)

सहायता का ब्योरा

- इकाई लागत = ₹० 30,00,000 प्रति इकाई
- सामान्य जाति 40 प्रतिशत ₹० 12,00,000/- प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60 प्रतिशत प्रति इकाई की दर से ₹० 18,00,000/- अधिकतम सीमा।

सीमा - कोई नहीं | जेंडर - सभी

पात्रता

- लाभार्थी को क्रण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। लाभार्थी पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है। पट्टे की अवधि न्यूनतम 10 वर्ष अनिवार्य है।
- राज्य के बेरोजगार युवा/ महिला जिनके पास क्रण मुक्त भूमि उपलब्ध हो।



मछली चारा मिल्स

(2 टन प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता की मिनी मील)

- परन्तु यदि कोई लाभार्थी फीड मिल निर्माण हेतु नई भूमि क्रय करना चाहता है तो उस पर हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्णय अनुसार केवल 3 प्रतिशत स्टाम्प छ्यूटी ही देय होगी।
- लाभार्थी को क्रण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।
- परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी।
- फीड मील योग्य तकनीक एवं कुशल स्टाफ द्वारा प्रबंधित होनी चाहिये।
- लाभार्थी अन्य मत्स्य पालकों को मत्स्य आहार उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
- निर्माण उपरांत फीड मील का प्रबंधन व संचालन लाभार्थी अपने खर्च पर करेगा।



मछली कियोस्क निर्माण

(एकचेरियम/सजावटी मछली के कियोस्क सहित)

सहायता का व्योरा

- इकाई लागत = 10,00,000/- रु० प्रति इकाई
- सामान्य जाति 40 प्रतिशत रु० 4,00,000/- प्रति इकाई की उच्चतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60 प्रतिशत प्रति इकाई की दर से रु० 6,00,000/- अधिकतम सीमा।

सीमा - कोई नहीं | जेंडर - सभी

पात्रता


- लाभार्थी को क्रण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है पट्टे की अवधि न्यूनतम 10 वर्ष अनिवार्य है।
- भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।



मछली कियोस्क निर्माण

(एकवरियम/सजावटी मछली के कियोस्क सहित)

- परियोजना प्रस्ताव केवल मात्स्यकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी।
- फिश आउटलेट का न्यूनतम आकार 100 वर्ग फीट होना चाहिए।
- अनु० जाति/अनु०जनजाति/महिलाओं व बेरोजगार युवाओं को वरीयता दी जाएगी।



बैकयार्ड सजावटी मछली पालन इकाई


सहायता का ब्योरा

- इकाई लागत = ₹ ० ३,००,०००/-, इकाई
- सामान्य जाति ४० प्रतिशत (₹ ० १,२०,०००/-) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए ६० प्रतिशत प्रति इकाई की दर से ₹ ० १,८०,०००/- अधिकतम सीमा।

सीमा - कोई नहीं | जेंडर - सभी

पात्रता

- लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो सकती है। पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम ७ वर्षों की अवधि अनिवार्य है।



बैकयार्ड सजावटी मछली पालन इकाई

- परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी।
- लाभार्थी के पास अपने घर के साथ जल स्रोत वाली न्यूनतम ३०० वर्ग फीट भूमि होनी चाहिए।
- इकाई में शेड, रियरिंग/कल्चर टैंक होने चाहिए।
- इकाई लागत में कैपिटल व ऑपरेशनल लागत सम्मिलित है।



मध्यम बायोफ्लोक कल्चर प्रणाली

(4 मीटर व्यास के 25 टैंक और 1.5 मीटर ऊँचाई)

सहायता का ब्योरा

- इकाई लागत = ₹ 0 25,00,000/- प्रति इकाई
- सामान्य जाति 40 प्रतिशत ₹ 0 10,00,000/- प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60 प्रतिशत प्रति इकाई की दर से ₹ 0 15,00,000/- अधिकतम सीमा

सीमा - कोई नहीं | जेंडर - सभी

पात्रता


- लाभार्थी को क्रण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो सकती है। पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम 10 वर्षों की अवधि अनिवार्य है।



मध्यम बायोफ्लोक कल्चर प्रणाली

(4 मीटर व्यास के 25 टैंक और 1.5 मीटर ऊँचाई)

- प्रति टैंक की न्यूनतम 1.5 मीटर गहराई होनी चाहिए। प्रति लाभार्थी को अधिकतम 1 इकाई की ही वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी तथा सहकारी सभाओं इत्यादि को अधिकतम 3 इकाईयों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।
- परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी।
- जल शुद्धिकरण इकाई अनिवार्य है।
- मत्स्य बीज, आहार व विष्पणन व्यवस्था लाभार्थी को स्वयं करनी होगी।
- विदेशी मछलियों को आयात करने हेतु सरकार से अनुमति अनिवार्य है।



बायोफ्लॉक तालाबों का निर्माण

(0.1 हेक्टर की एक इकाई, मीठे जल वाले क्षेत्रों के लिए, इनपुट कॉस्ट भी शामिल)

सहायता का व्योरा

- इकाई लागत = ₹ १४,००,०००/- प्रति इकाई
- सामान्य जाति 40 प्रतिशत (₹ ५,६०,०००/-) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60 प्रतिशत प्रति इकाई की दर से ₹ ८,४०,०००/- अधिकतम सीमा।

सीमा - कोई नहीं | जेंडर - सभी

पात्रता


- लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो सकती है। पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम 7 वर्षों की अवधि के लिए अनिवार्य है।



बायोफ्लॉक तालाबों का निर्माण

(0.1 हेक्टर की एक इकाई, मीठे जल वाले क्षेत्रों के लिए, इनपुट कॉस्ट भी शामिल)

- निर्मित तालाब की न्यूनतम 1.5 मीटर गहराई होनी चाहिये। प्रति लाभार्थी को अधिकतम 0.1 हेक्टर की 2 इकाईयों की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी तथा सहकारी सभाओं इत्यादि को प्रति सदस्य 2 इकाईयां तथा अधिकतम 20 इकाईयों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।
- परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी।



छोटे बायोफ्लोक कल्चर प्रणाली

(4 मीटर व्यास के 7 टैंक और 1.5 मीटर ऊँचाई)

सहायता का ब्योरा

- इकाई लागत = ₹ ० ७,५०,०००/- प्रति इकाई
- सामान्य जाति 40 प्रतिशत (₹ ० ३,००,०००/-) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60 प्रतिशत प्रति इकाई की दर से ₹ ० ४,५०,०००/- अधिकतम सीमा।

सीमा - कोई नहीं | जेंडर - सभी

पात्रता

- लाभार्थी को क्रण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो सकती है। पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम 10 वर्षों की अवधि के लिए अनिवार्य है।



छोटे बायोफ्लॉक कल्घर प्रणाली

(4 मीटर व्यास के 7 टैंक और 1.5 मीटर ऊँचाई)

- प्रति टैंक की न्यूनतम 1.5 मीटर गहराई होनी चाहिए। प्रति लाभार्थी को अधिकतम 1 इकाई क्षेत्रफल की ही वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी तथा सहकारी सभाओं इत्यादि को अधिकतम 4 इकाईयों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।
- परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी।
- जल शुद्धिकरण इकाई अनिवार्य है।
- मत्स्य बीज, आहार व विष्णन व्यवस्था लाभार्थी को स्वयं करनी होगी।
- विदेशी मछलियों को आयात करने हेतु सरकार से अनुमति अनिवार्य है।




आइस प्लांट

(न्यूनतम 10 टन क्षमता)

सहायता का ब्योरा

- इकाई लागत = ₹ 40,00,000/- प्रति इकाई
- सामान्य जाति 40 प्रतिशत (₹ 16,00,000/-) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60 प्रतिशत प्रति इकाई की दर से ₹ 24,00,000/- अधिकतम सीमा।

सीमा - कोई नहीं | जेंडर - सभी




आइस प्लांट

(न्यूनतम 10 टन क्षमता)

पात्रता

- लाभार्थी को क्रण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो सकती है। पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम 10 वर्षों की अवधि के लिए अनिवार्य है।
- परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी।
- केवल मत्स्य पालन सम्बन्धी गतिविधियों हेतु प्रयोग में लाये जाएंगे।
- रख-रखाव व संचालन लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी।



बड़े आर. ए. एस. की स्थापना

(न्यूनतम 90 मीटर क्यूब/टैंक की क्षमता और मध्यमी उत्पादन 40 टन/फसल के 8 टैंकों के साथ)

सहायता का ब्योरा

- इकाई लागत = ₹ ५०,००,०००/- प्रति इकाई
- सामान्य जाति 40 प्रतिशत (₹ २०,००,०००/-) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी समांगों के लिए 60 प्रतिशत प्रति इकाई की दर से ₹ ३०,००,०००/- अधिकतम सीमा।

सीमा - कोई नहीं | जेंडर - सभी



बड़े आर. ए. एस. की स्थापना

(न्यूनतम 90 मीटर क्षूब/टैंक की क्षमता और मछली उत्पादन 40 टन/फसल के 8 टैंकों के साथ)

पात्रता

- लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो सकती है। पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम 10 वर्षों की अवधि के लिए अनिवार्य है।
- प्रति टैंक की न्यूनतम 1.5 मीटर गहराई होनी चाहिये। प्रति लाभार्थी को अधिकतम 1 इकाई क्षेत्रफल की ही वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी तथा सहकारी सभाओं इत्यादि को अधिकतम 2 इकाईयों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।
- परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी।
- जल शुद्धिकरण इकाई अनिवार्य है।
- मत्स्य बीज, आहार व् विप्पण व्यवस्था लाभार्थी को स्वयं करनी होगी।
- विदेशी मछलियों को आयात करने हेतु सरकार से अनुमति अनिवार्य है।



शीत भंडार का निर्माण

(न्यूनतम 50 टन क्षमता का प्लांट)

सहायता का व्योरा

- इकाई लागत = रु० 1,50,00,000/- प्रति इकाई
- सामान्य जाति 40 प्रतिशत (रु० 60,00,000/-) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60 प्रतिशत प्रति इकाई की दर से रु० 90,00,000/- अधिकतम सीमा।

सीमा - कोई नहीं | जेंडर - सभी

पात्रता

- लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो सकती है। पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम 10 वर्षों की अवधि के लिए अनिवार्य है।
- परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी।




शीत भंडार का निर्माण

(न्यूनतम 50 टन क्षमता का प्लांट)

पात्रता

- केवल मत्स्य पालन सम्बन्धी गतिविधियों हेतु प्रयोग में लाये जाएंगे।
- रख-रखाव व संचालन लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी।



बड़े आर.ए.एस. की स्थापना

(शीत जल की मछली पालन के लिए, न्यूनतम 50क्यूबिक मीटर/ टैंक क्षमता और 10 टन/फसल की मछली उत्पादन क्षमता के 10 टैंक)

सहायता का व्योरा

- इकाई लागत= रु० 50,00,000/- प्रति इकाई
- सामान्य जाति 40 प्रतिशत (रु० 20,00,000/-) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60 प्रतिशत प्रति इकाई की दर से रु० 30,00,000/- अधिकतम सीमा।

सीमा - कोई नहीं | जेंडर - सभी

पात्रता


- लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो सकती है। पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम 10 वर्षों की अवधि के लिए होनी अनिवार्य है।



बड़े आर.ए.एस. की स्थापना

(शीत जल की मछली पालन के लिए, न्यूनतम 50क्यूबिक मीटर/ टैंक क्षमता और 10 टन/फसल की मछली उत्पादन क्षमता के 10 टैंक)

- प्रति टैंक की न्यूनतम 1.5 मीटर गहराई होनी चाहिये। प्रति लाभार्थी को अधिकतम 1 इकाई क्षेत्रफल की ही वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी तथा सहकारी सभाओं इत्यादि को अधिकतम 2 इकाईयों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।
- परियोजना रिपोर्ट केवल मात्रियकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी।
- जल शुद्धिकरण इकाई अनिवार्य है।
- मत्स्य बीज, आहार व विष्पण व्यवस्था लाभार्थी को स्वयं करनी होगी।
- विदेशी मछलियों को आयात करने हेतु सरकार से अनुमति अनिवार्य है।



मध्यम स्केल सजावटी मछली पालन इकाई

सहायता का ब्योरा

- इकाई लागत = ₹० 8,00,000/- इकाई
- सामान्य जाति 40% (₹० 3,20,000/-) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से ₹० 4,80,000/- अधिकतम सीमा।

सीमा - कोई नहीं | जेंडर - सभी

पात्रता

- लाभार्थी को क्रण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तिय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तिय सहायता हेतु पात्र है भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो सकती है। पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम 7 वर्षों की अवधि ले लिए होनी अनिवार्य है।
- परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी।



मध्यम स्केल सजावटी मछली पालन इकाई

- लाभार्थी के पास अपने घर के साथ जल स्रोत्र वाली न्यूनतम 150 वर्गमीटर भूमि होनी चाहिए।
- इकाई में शेड, रियारिंग/कल्चर टैंक होने चाहिए।
- इकाई लागत में कैपिटल व् ऑपरेशनल लागत सम्मिलित है।



दुर्घटना बीमा योजना


(शीत जल की मछली पालन के लिए, न्यूनतम 50क्यूबिक मीटर/ टैंक क्षमता और 10 टन/फसल की मछली उत्पादन क्षमता के 10 टैंक)

सहायता का व्योरा

- 100 %
- सीमा - 18 से 70 वर्ष के बीच | जेंडर - सभी

पात्रता

- राज्य के सभी मछुआरो व मत्स्य पालक निःशुल्क बीमायोजना में पात्र हैं। मछुआरा/मत्स्य पालक मृत्यु अथवा पूर्ण स्थाई अपंगता होने पर ₹ 0 5.00 लाख की राशि हेतु बीमित है। आंशिक अपंगता होने पर ₹ 0 2.50 लाख की राशि हेतु बीमित है तथा दुर्घटना होने पर - Indoor patient (Hospitalization expenses) उपचार हेतु मु० 0.25 लाख वित्तीयसहायता दी जाएगी।
- बीमा कवच 12 माह के लिये होगा।
- बीमा योजना (NFDB)के माध्यम से लागू की जायेगी।



राज्य सरकार योजनाएँ

• रिस्क फण्ड योजना

- आयु सीमा - कोई नहीं | जेंडर - सभी
- सहायता का ब्योरा -
 - सभी क्षतिग्रस्त उपकरणों की लागत पर अधिकतम 50 प्रतिशत
 - (अधिकतम लागत सीमा- बोट 60,000/- ₹०, जाल 6,000/- ₹०, टेंट 25,000/- ₹० व तरपाल 2,000/- ₹०)
- पात्रता -
 - लाभार्थी पूर्णकालिक सक्रिय मछुआरा होना चाहिए |
 - लाभार्थी किसी कार्यशील मत्स्य सहकारी सभा/ फेडरेशन/पंजीकृत इकाई का सदस्य होना चाहिये |
 - मछुआरे द्वारा रिस्क फण्ड में वार्षिक 20/- ₹० का योगदान अनिवार्य है।

• गिल जाल आबंटन

- सहायता का ब्योरा -
 - इकाई लागत = 6,000/-
 - सामान्य जाति= 25 प्रतिशत (1,500/-)
 - अनुसूचित जाति/जनजाति= 50 प्रतिशत (3,000/-)
- पात्रता -
 - लाभार्थी सहकारी सभा का सदस्य होना आवश्यक है।



राज्य सरकार योजनाएँ

- प्रशिक्षण शिविर- अनुसूचित जाति वर्ग के लिए
 - आयु सीमा - कोई नहीं | जेंडर - सभी
 - सहायता का ब्योरा -
 - 100 प्रतिशत
 - पात्रता -
 - केवल अनुसूचित जाति बहुल्य गाँव/ पंचायत के लिए
- मत्स्य पालन तालाब निर्माण जन जाति वर्ग के लिए
 - आयु सीमा - कोई नहीं | जेंडर - सभी
 - सहायता का ब्योरा -
 - न्यूनतम 500 वर्ग मीटर के तालाब हेतु ₹० 25,500/- की वित्तीय सहायता (प्रथम वर्षीय आदानों सहित)।
 - पात्रता -
 - केवल जन जाति जातीय वर्ग के व्यक्तियों के लिए
- सामुदायिक तालाब निर्माण/पुनरुधार(अनुसूचित जाति बहुल्य गाँव)
 - आयु सीमा - कोई नहीं | जेंडर - सभी
 - सहायता का ब्योरा -
 - 100 प्रतिशत (₹० 1,00,000/-)
 - पात्रता -
 - केवल अनुसूचित जाति बहुल्य गाँव/पंचायत के लिए

संपर्क सूत्र /अधिकारी

जिला	संपर्क सूत्र /अधिकारी	संपर्क विवरण
जिला बिलासपुर	सहायक निदेशक मत्स्य, मत्स्य मण्डल बिलासपुर, हि० प्र०	Email: adfisheries1-bil-hp@gov.in, Phone: 01978-222568
जिला कुल्लू और लाहौल स्पीति	उप निदेशक मत्स्य, मत्स्य मण्डल पतलीकुहल जिला कुल्लू, हि० प्र०	Email: ddfisheries-kul-hp@nic.in, Phone: 01902-240163
जिला मंडी	सहायक निदेशक मत्स्य, मत्स्य मण्डल मंडी जिला मंडी, हि० प्र०	Email: adf-mandi-hp@nic.in, Phone: 01905-235141, 796866
पौंग-डैम (जिला काँगड़ा)	सहायक निदेशक मत्स्य, मत्स्य मण्डल पौंग- डैम जिला काँगड़ा, हि० प्र०	Email: Adfisheries-pong-hp@nic.in, Phone: 01893-201282
जिला हमीरपुर व काँगड़ा	सहायक निदेशक मत्स्य, मत्स्य मण्डल पालमपुर, जिला काँगड़ा, हि० प्र०	Email: Adfisheries-pal-hp@nic.in, Phone: 01894-231872
जिला चंबा	सहायक निदेशक मत्स्य, चंबा स्थित सुल्तानपुर जिला चंबा, हि० प्र०	Email: Adfisheries-cha-hp@nic.in, Phone: 01899-223801
जिला किन्नौर व शिमला	सहायक निदेशक मत्स्य, शिमला जिला शिमला, हि० प्र०	Email: adfish-sml-hp@nic.in, Phone: 0177-2830171
जिला सोलन	सहायक निदेशक मत्स्य, सोलन जिला सोलन हि० प्र०	Email: adfisheries-sol-hp@nic.in, Phone: 01792-229454
जिला सिरमौर	सहायक निदेशक मत्स्य, सिरमौर जिला सिरमौर हि०प्र०	Email: adf-sir-hp@nic.in, Phone: 01702-224985
जिला ऊना	सहायक निदेशक मत्स्य, ऊना जिला ऊना हि०प्र०	Email: Adfisheries-una-hp@nic.in, Phone: 01975-227792



Directorate of Fisheries Himachal Pradesh Matasya

Bhawan Changer Sector Bilaspur-174 001.

✉ : fisheries-hp@nic.in Ⓛ : hpfisheries.nic.in

📞 91-1978-224068(O) | 91-1978-224068(Fax) | 91-1978-223212(O)